RCMS 2019/000098

आदेशिका

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर

पुष्पा देवी बनाम नौरंगलाल आदि

प्रकरण अन्तर्गत धारा 225 RTA अपील संख्या 37 /2019

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसाारित पत्रांक एवं दिनांक
15.04.19	वकील अपीलांट द्वारा पेश करने पर बाद जांच रिपोर्ट अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपीलांट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के आदेश दिनांक 03.04.2019 के विरूद्ध पेश की है। उक्त आदेश के द्वारा वादीया द्वारा अधी. न्यायालय में एक वाद एवं धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रा.पत्र पेश किया गया। उक्त प्रा.पत्र में अधी. न्यायालय द्वारा एकतरफा अन्तरिम स्थगन आदेश जारी करना उचित नहीं माना एवं अप्रार्थीगण को तलब कर पत्रावली में आगामी तारीख पेशी 06.05.2019 नियत की गई। वकील अपीलांट की स्थगन प्रा.पत्र पर बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से स्थगन प्रा.पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रोही हिन्दौर के ख.नं. 39/5 की 5.060है0 भूमि अपीलांट ने जरिये बैयनामा क्रय की है एवं अपीलांट के नाम से खातेदारी दर्ज है, जिसके सम्बन्ध में अपीलांट ने जमाबन्दी, गिरदावरी एवं तहसीलदार सूरतगढ की रिपोर्ट दिनांक 30.12.2006 पेश की है जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। लेकिन अधी. न्यायालय ने सी.आर.पी.सी. की धारा 145 में मामला विचाराधीन होने एवं प्रकरण राजस्व मण्डल में विचाराधीन होने से एकतरफा स्थगन आदेश जारी नहीं किया जबकि अपीलांट का मामला बनता था। अतः निवेदन है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जावे।	

वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.04.2019 में यह अंकित है कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल में एवं अपर जिला सैशन न्यायाधीश सूरतगढ में प्रकरण विचाराधीन है। साथ ही अधी. न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को तलब कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 06.05.2019 नियत की गई है। इस प्रकार अधी. न्यायालय ने कोई प्रभावी आदेश पारित नहीं किया है जिसपर कोई स्थगन आदेश जारी किया जा सके, साथ ही अधी. न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु तारीख पेशी नियत की गई है। नियत दिनांक अप्राथीगण के उपस्थित आने के पश्चात ही अधी. न्यायालय द्वारा सुनकर कोई प्रभावी आदेश पारित किया जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में यह अपील चलने योग्य नहीं होने से एडमिशन स्तर पर खारिज की जाती है। अपीलांट यदि चाहे तो अधी. न्यायालय में शीघ्र सुनवाई हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। निर्णित पत्रावली नम्बर से कम होकर अभिलेखागार में जमा हो।